506

संख्या–14 / भा0स0 / XV-3/2021-14(02)2018

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
आपदा प्रबंधन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

पशुपालन अनुभाग–03 (मत्स्य) देहरादूनः दिनांक 01 जून ~~मई~~, 2021

2040

विषय :– मत्स्य पालन (Fisheries) एवं जलीय कृषि संबंधी (Aquaculture) क्रियाकलापों को आवश्यक सेवाओं की सूची में सम्मिलित करते हुये उक्त क्रियाकलापों को वर्तमान में लागू कर्फ्यू/लॉकडॉउन/शटडॉउन के प्रतिबंधों से छूट प्रदान किये जाने विषयक।

ACEO (Adm)
Mr. Gadnayak
2-6-2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, मत्स्य पालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या 28001/1/2021–Fy(18404) दिनांक 07.05.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि कोविड–19 के द्वितीय चरण (Second phase) के दृष्टिगत वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कतिपय राज्यों द्वारा पूर्ण लॉकडॉउन लागू किया गया है साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि गत वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडॉउन के लागू होने की अवधी में मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि संबंधी क्रियाकलापों को आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित किया गया तथा कोविड–19 महामारी के संबंध में निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार उक्त क्रियाकलापों को निरन्तर संचालित किया गया।

(एस. ए. मुरुगेशन)
सचिव
सिंचाई एवं लघु सिंचाई,
आपदा प्रबन्धन विभाग
उत्तराखण्ड शासन

2– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मत्स्य पालन (Fisheries) एवं जलीय कृषि संबंधी (Aquaculture) क्रियाकलापों को आवश्यक सेवाओं की सूची में सम्मिलित करते हुये उक्त क्रियाकलापों को वर्तमान में लागू कर्फ्यू/लॉकडॉउन/शटडॉउन के प्रतिबंधों से छूट प्रदान की जाती है। मत्स्य पालक/मछुआवों को मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादन, मत्स्य बीज तथा मत्स्य आहार एवं एक्वाकल्चर फॉर्मस् तथा अन्य वाणिज्यिक अवस्थापनाओं यथा एक्वैरियम इत्यादि क्षेत्र में संलग्न लोगों को अपनी आजीविका चलाने हेतु Movement (गतिमान) किये जाने की अनुमति प्रदान करते हुये कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

E.D. (I/C)

(डा0 आनन्द श्रीवास्तव)
04/06/2021
अपर सचिव,
राजस्व, परिवहन एवं आपदा प्रबन्धन
उत्तराखण्ड शासन

क्रमशः..........2

567

संख्याः– / / भा0स0 / XV-3/2021-14(02)2018 (मत्स्य) तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः 1. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2. का0 संयुक्त निदेशक, मत्स्य विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

No. 14/आ०प्र०/XV-3/2021-14(02)/2018 508

सागर मेहरा
SAGAR MEHRA

संयुक्त सचिव
मत्स्यपालन विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन, एवं डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
Joint Secretary
Department of Fisheries
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
Government of India
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

सत्यमेव जयते

D.O. No.j-28001/1/2021-Fy(18404)

Dated the 7th May, 2021

Dear Sir/Madam,

As you may be aware that due the resurgence of COVID-19 in the second phase many States have gone for imposing complete locked down to contain spreading of the virus.

2. Since fisheries and aquaculture activities are involves dealing with live animals and the husbandry practices of aquatic animals, they require regular care such as management of water quality and feeding. Therefore, the situation demands that activities of fisheries and aquaculture operation including management and maintenance of aquarium besides transport of feed, seed and food fishes are treated as essential services and accordingly be exempted from the current lockdown or similar restrictions.

3. It may also be recalled that fisheries and aquaculture activities were exempted from the lockdown and included in essential services during the nationwide lockdown implemented last year and so operation of these activities could continue following the COVID-19 pandemic guidelines.

4. In this background, I would request your personal intervention for issuing necessary instructions to the concerned law enforcing authorities to include fisheries and aquaculture related activities in the list of essential services and exempt these activities from the restrictions of currents curfew/lockdown/shutdown so as to allow movement of fish and fisheries products, fish seed and fish feed for the fish farmers/fishers, aquaculture farms and other commercial establishments like aquarium shops etc. for livelihood sustenance of the people dependent on this sector.

1125
19/5/21

सचिव आपदा / सचिव मत्स्य
सचिव. ग्र ई

With warm regards,

1717 PS 21
10/5/21

Yours sincerely

Smehra

(Sagar Mehra)

To:

Chief Secretaries of all States/ UTs

8/5/2021
(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन

आज भाग
डी.ओ.
24-5-2021

Copy to

1. Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary of Fisheries of all States/UTs
2. Commissioner / Director of Fisheries of all States and UTs

JO(F)

11/5/21